

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

SN: PC-VI/230
No.PC-VI/2010/GIS/1

RBE No: 145/2010
dated. 6-10-2010.

**The General Managers,
All Indian Railways/PUs etc.**

Sub:- Rate of monthly subscription and insurance cover under CGEGIS-1980 for erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1, Grade Pay ₹1800/- and classified as Group 'C'.

Attention is invited to Ministry of Finance's OM no. E.7(5)-EV/89 dated 15-05-1989 updating the Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 (CGEGIS), circulated vide Board's letter no. PC-III/89/GIS/1 dated 19-09-1989.


2. Consequent upon implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission as accepted by the Government and issue of revised classification vide Board's letter no. PC-VI/2009/I/RSRP/4 dated 08-01-2010, the issue of rate of recovery of monthly subscription and insurance cover under CGEGIS-1980 for erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1, Grade Pay ₹1800/-, have been under consideration in consultation with Ministry of Finance, the nodal Ministry for this purpose, for some time.

3. It has now been decided that subscription towards CGEGIS and insurance coverage to the erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1 with Grade Pay of ₹1800 and classified as Group 'C' vide Board's letter no. PC-VI/2009/I/RSRP/4 dated 08-01-2010 (RBE No.05/2010), may be enhanced @ ₹30/- per month from 1st January of the next calendar year i.e. January-2011.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of this Ministry.

5. Kindly acknowledge receipt.

(This disposes of Metro Railway's letter no. MRTS/E.340/VithPC dt. 28-04-2010)


2010


(Hari Krishan)

Director, Pay Commission-II

No. PC-VI/2010/GIS/1

dated. 6-10-2010.

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways),
New Delhi.


for Financial Commissioner, Railways

.....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/230
सं. पी सी-VI/2010/जीआईएस/1

आरबीई सं./45/2010
नई दिल्ली, दिनांक: 6.10.2010

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: पीबी-1, ग्रेड पे ₹ 1800/- में रखे गए तथा ग्रुप 'सी' के रूप में वर्गीकृत किए गए पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत मासिक अंशदान तथा बीमा कवर की दर।

बोर्ड के दिनांक 19.09.1989 के पत्र सं. पीसी-III/89/जीआईएस/1 द्वारा परिपत्रित वित्त मंत्रालय के दिनांक 15.05.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई 7(5)-ईवी/89 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 को अपडेट किया गया है।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा बोर्ड के दिनांक 08.01.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2009/आई/आरएसआरपी/4 द्वारा संशोधित वर्गीकरण के जारी होने के फलस्वरूप, पीबी-1, ग्रेड पे ₹ 1800/- में रखे गए पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत मासिक अंशदान की वसूली की दर तथा बीमा कवर का मुद्दा इस प्रयोजन के लिए नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय से परामर्श करते हुए कुछ समय से विचाराधीन रहा है।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि पीबी-1, ग्रेड पे ₹ 1800/- में रखे गए और बोर्ड के दिनांक 08.01.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2009/आई/आरएसआरपी/4 (आरबीई सं. 05/2010) द्वारा ग्रुप 'सी' के रूप में वर्गीकृत पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए अंशदान तथा बीमा कवरेज अगले कैलेंडर वर्ष अर्थात् जनवरी 2011 की एक जनवरी से ₹ 30/- प्रतिमाह की दर से बढ़ा दिया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(इससे मेट्रो रेलवे के दिनांक 28.04.2010 के पत्र सं. एमआरटीएस/ई. 340/VI पीसी का निपटारा हो जाता है।)

6/10/2010

(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग-II

नई दिल्ली, दिनांक: 6 .10.2010

सं. पी सी-VI/2010/जीआईएस/1

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

सांनही नई दिल्ली

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

सं. पी सी-VI/2010/जीआईएस/1

नई दिल्ली, दिनांक: 6 .10.2010